



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2018/अग्रहायण 6, 1940

No. 451]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2018/AGRAHAYANA 6, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2018

फा. सं. एमएंडएमपी/विविध मानक/अधिसूचना(03)/एफ.एस.एस.ए.आई-2018.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राज्यपत्र की प्रतियाँ, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2018' कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.1 में,-

(क) दुग्ध मानक से संबंधित उप-विनियम 2.1.2 की मद 2 की उप-मद (ख) में,-

(I) संघटन सारणी में “बकरी या भेड़ का दूध” से संबंधित पंक्ति 3 की जगह निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगा,-

| क्रम सं० | दुग्ध श्रेणी | जगह अथवा राज्य अथवा क्षेत्र | न्यूनतम दुग्ध वसा (प्रतिशत, द्रव्यमान अनुसार) | दूध के वसा रहित ठोस पदार्थ (एसएनएफ) (प्रतिशत, द्रव्यमान अनुसार) |
|----------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| “3. | बकरी या भेड़ का दूध | सम्पूर्ण भारत | 3.0 | 9.0”; |

(II) संघटन सारणी के नीचे “टिप्पणियाँ” में प्रविष्टि (ii) के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(iii) दूध में कुल सोडियम अंश 55 मिग्रा/100 ग्रा से अधिक न हो।”

(ख) दुग्ध पाउडर और क्रीम पाउडर मानकों से संबंधित उप-विनियम 2.1.10 की मद 2 की उप-मद (ख) के नीचे संघटन सारणी के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“टिप्पणी.- दुग्ध पाउडर में कुल सोडियम अंश 650 मिग्रा/100 ग्रा से अधिक न हो।”

(ग) छेना और पनीर के मानक से संबंधित उप-विनियम 2.1.16 में,-

(I) मद 2 की उप-मद (ग) की संघटन सारणी की जगह निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

| “मानदंड | छेना अथवा पनीर | मध्यम वसा छेना अथवा पनीर | अल्प वसा छेना अथवा पनीर |
|--|--|--|--|
| आर्द्रता, अधिकतम, %, (द्रव्यमान अनुसार) | 65.0 (छेना के लिए) 60.0 (पनीर के लिए) | 65.0 (छेना के लिए) 60.0 (पनीर के लिए) | 65.0 (छेना के लिए) 60.0 (पनीर के लिए) |
| दुग्ध वसा, %, (द्रव्यमान अनुसार), शुष्क पदार्थ आधार पर | 50.0 (न्यूनतम) | 15.0 से अधिक और 50.0 से कम | 15.0 (अधिकतम)”; |

(ii) ‘लेबलिंग’ से संबंधित मद 6 में,-

(1) उप-मद (क) की जगह निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(क) मद 2 की उप-मद (ग) में दिए गए संघटन के आधार पर उत्पाद का नाम छेना, पनीर, अल्प वसा छेना अथवा अल्प वसा पनीर, मध्यम वसा छेना अथवा मध्यम वसा पनीर होगा।”;

(2) उप-मद (ख) की जगह निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) ‘अल्प वसा छेना/मध्यम वसा छेना’ और ‘अल्प वसा पनीर/मध्यम वसा पनीर’ केवल सीलबंद पैकेजों में बेचे जाएँ और संबंधित उत्पाद के संघटन के आधार पर उनके लेबल पर निम्नलिखित घोषणा की जाएगी:

“अल्प वसा पनीर अथवा अल्प वसा छेना”

अथवा

“मध्यम वसा पनीर अथवा मध्यम वसा छेना”;

(3) मौजूदा उप-मद “(ग)” को “(घ)” संख्यांकित किया जाए और यथासंशोधित उप-मद (ख) के बाद निम्नलिखित उप-मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“(ग) मध्य वसा छेना और मध्यम वसा पनीर के हर पैकेट पर निम्नलिखित लेबल हो, अर्थात्:-

“_____ % दुग्ध वसा युक्त”

(घ) चीज़ और चीज़ उत्पाद मानक से संबंधित उप-विनियम 2.1.17 की,-

(I) मद 1 की उप-मद (ख) के बाद निम्नलिखित उप-मद अतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(ग) व्हे चीज़ ठोस, अर्ध-ठोस अथवा मृदु उत्पाद हैं, जो निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक प्रक्रिया से बनाए जाते हैं:

- (1) व्हे के सांद्रण से और सांद्रित उत्पाद को साँचे में ढालकर;
- (2) अम्ल ढालकर अथवा डाले बिना व्हे को गर्म करके उसके स्कंदन द्वारा।

हर स्थिति में व्हे को उसके और अधिक सांद्रण अथवा उसके प्रोटीनों के स्कंदन से पूर्व सांद्रित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में सांद्रण अथवा स्कंदन से पूर्व अथवा बाद में दूध, क्रीम अथवा दुग्ध मूल की अन्य कच्ची सामग्रियाँ भी डाली जा सकती हैं। व्हे के स्कंदन से तैयार उत्पाद में व्हे प्रोटीन और केसीन का अनुपात दूध से स्पष्ट रूप से अधिक हो।

व्हे के स्कंदन के माध्यम से प्राप्त उत्पाद या तो पकाया या अपरिपक्व हो सकता है

(घ) “लवण जल पनीर” अर्ध ठोस से मृदु राइपेड पनीर होता है। इसका रंग सफेद से पीताभ होता है। कत्ले बनाने के लिए इसकी बनावट संहत होती है, जिस दौरान इसमें कुछ यांत्रिक विवर हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं। इनका कोई निश्चित रूप नहीं होता और उपभोक्ता को सुपुर्द करने अथवा उसके लिए पूर्व पैक करने तक इन्हें लवण जल में तैयार और परिरक्षित रखा जाता है। कुछ लवण जल पनीरों में उनकी पहचान के रूप में विशिष्ट जड़ी-बूटियाँ और मसाले होते हैं।”;

(II) मद 2 की उप-मद (ग) के नीचे,-

(1) पनीर उत्पादों से संबंधित सारणी की प्रविष्टि (iv) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ, अर्थात्,-

| उत्पाद | आर्द्रता, अधिकतम, %, द्रव्यमान अनुसार | दुग्ध वसा, न्यूनतम, % (शुष्क आधार पर) | लैक्टोज, अधिकतम, % (द्रव्यमान अनुसार) |
|---------------|---|---|---|
| “v) व्हे पनीर | | | |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|-----|
| क. | क्रीमयुक्त व्हे पनीर | - | 33 | - |
| ख. | व्हे पनीर | - | ** | - |
| ग. | मखनिया व्हे पनीर | - | *** | - |
| vi) | लवण जल पनीर | | | |
| क. | लवण जल मृदु पनीर | - | 40 | - |
| ख. | लवण जल अर्ध ठोस पनीर | - | 40 | -“; |

- (2) सारणी में मौजूदा प्रविष्टि (*) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ, अर्थात्,-
 “***व्हे पनीर में दुग्ध वसा शुष्क आधार पर न्यूनतम 10% हो और 33% से कम हो।
 ***मखनिया व्हे पनीर में दुग्ध वसा शुष्क आधार पर 10% से कम हो”;

- (III) मद 6 के नीचे उप-मद (क) की जगह निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(क) उत्पाद का नाम पनीर, व्हे पनीर अथवा लवण जल पनीर, जो भी लागू हो, होगा। तथापि मद 1 की उप-मद (क) के अनुसार पनीर की भिन्न किस्म के अनुसार अभिनाम में ‘पनीर’, ‘व्हे पनीर’ अथवा ‘लवण जल पनीर’ लुप्त कर दिए जाएँ।”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा. /371/18]

टिप्पणी.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं0 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यको द्वारा संशोधित किए गए थे; -

- i. फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- ii. फा.सं. पी./15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- iii. फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- iv. फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसम्बर, 2014;
- v. फा.सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- vi. फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- vii. फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- viii. फा.सं.पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- ix. फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- x. फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- xi. फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- xii. फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- xiii. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट1 खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- xiv. फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- xv. फा. सं° 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- xvi. फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- xvii. फा.सं.1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;

- xviii. एफ. सं. /11/09/रिग./हार्मोनाइजेशन/2017, तारीख 5 सितम्बर, 2016;
- xix. फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितम्बर, 2016;
- xx. फा.सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- xxi. एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- xxii. फा. सं. मानक/एसपी(जल एवं पेय)/अधि(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्टूबर, 2016;
- xxiii. फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- xxiv. एफ.सं. पी./15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसम्बर, 2016;
- xxv. फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसम्बर, 2016;
- xxvi. फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- xxvii. फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- xxviii. फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- xxix. फाइल सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- xxx. फा. सं. मानक /03/अधिसूचना (एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून, 2017;
- xxxi. एफ.सं.1/योजक/मानक/14.2.अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई, 2017;
- xxxii. फा. सं. मानक /एफ&वीपी/अधिसूचना (01)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 2 अगस्त, 2017;
- xxxiii. फा. सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी(लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितम्बर, 2017;
- xxxiv. फा. सं. मानक /एम&एमपीआईपी(1)/एसपी /एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 सितम्बर, 2017;
- xxxv. सं. मानक/एसपी (पानी एवं पेय)/ अधि.(1)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 15 सितम्बर, 2017;
- xxxvi. फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितम्बर, 2017;
- xxxvii. फा. सं. 2/स्टैंडस/सीपीएल एंड सीपी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 18 सितम्बर, 2017;
- xxxviii. फा. सं. ए-1(1)/मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- xxxix. एफ.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई -2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- xl. एफ. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ए आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर, 2017;
- xli. फा.सं.ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग I), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- xlii. एफ. सं. 1/योजक/मानक/बीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;
- xliiii. एफ.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई -2016, तारीख 20 फरवरी,2018;
- xliv. फाईल संख्या स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टीफाईड और एनरिचड फूड)-रेग/एफ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- xlv. सं.1/शिशुपोषण/मानक/ अधिसूचना/भा.खा.सु.माँ.प्रा/2016, तारीख 13 मार्च, 2018;
- xlvi. एफ.सं.1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;
- xlvii. फा.सं. स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच/नोटिफिकेशन (03)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;
- xlviii. फा.सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएल एंड सीपी/ अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 4 मई, 2018;
- xlix. फाइल सं0 एसटीडीएस/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस लोलीस नोटिफिकेशन/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- I. फा.सं.मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना (3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- li. फा.सं. मानक/सीपीएलऔरसीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018; और
- LII.** फाइल सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2018

F.No. M&MP/Misc. Stds/Notification(03)/FSSAI-2018.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002; or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2018.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.1,-

(A) in sub-regulation 2.1.2 related to Standards for Milk, in item 2, under sub-item (b),-

(I) in the composition table, row 3 related to “Goat or Sheep Milk” shall be substituted by the following,-

| Sl. No | Class of Milk | Locality or State or Area | Minimum Milk Fat (per cent, m/m) | Minimum Milk Solids- not-Fat (SNF) (per cent, m/m) |
|--------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| “3. | Goat or Sheep Milk | All India | 3.0 | 9.0”; |

(II) in the “Note(s)” below composition table, after entry (ii), the following shall be inserted, namely,-

“(iii) Total sodium content in the milk shall not be more than 55 mg/ 100 gm.”.

(B) in sub-regulation 2.1.10 related to Standards for Milk Powders and Cream Powder, in item 2, under sub-item (b), after composition table, the following shall be inserted, namely,-

“Note.- Total sodium content in the milk powder shall not be more than 650 mg/ 100 gm.”.

(C) in sub-regulation 2.1.16, relating to Standard for *Chhana* and *Paneer*,-

(I) in item 2, the composition table under sub-item (c) shall be replaced with the following,-

| “Parameter | <i>Chhana or Paneer</i> | <i>Medium fat Chhana or Paneer</i> | <i>Low fat Chhana or Paneer</i> |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Moisture, maximum, %, (m/m) | 65.0 (for <i>Chhana</i>) 60.0 (for <i>Panner</i>) | 65.0 (for <i>Chhana</i>) 60.0 (for <i>Panner</i>) | 65.0 (for <i>Chhana</i>) 60.0 (for <i>Panner</i>) |
| Milk fat, %, (m/m), dry matter basis | 50.0 (minimum) | More than 15.0 and less than 50.0 | 15.0 (maximum)”; |

(II) in item 6 related to 'Labelling',-

(1) sub-item (a) shall be substituted by the following, namely:-

“(a) The name of the product shall be ‘*Chhana*’, ‘*Paneer*’, ‘*Low Fat Chhana*’ or *Low Fat Paneer*’, ‘*Medium Fat Chhana*’ or ‘*Medium Fat Paneer*’ depending upon the composition as per the sub-item (c) of item 2.”;

(2) sub-item (b) shall be substituted by the following, namely:-

“(b) ‘*Low Fat Chhana*’/‘*Medium Fat Chhana*’ and ‘*Low Fat Paneer*’/‘*Medium Fat Paneer*’ shall be sold in sealed package only and shall bear the following label declarations depending upon the respective product composition:

“LOW FAT *PANEER* or LOW FAT *CHHANA*”

Or

“MEDIUM FAT *PANEER* or MEDIUM FAT *CHHANA*”;

(3) existing sub-item “(c)” shall be renumbered as “(d)” and the following sub-item shall be inserted after sub-item (b) so amended, namely:-

“(c) Every package of *Medium Fat Channa* and *Medium Fat Paneer* shall bear the following label, namely:-

“Contains % Milk Fat”.

(D) in sub-regulation 2.1.17 related to Standard for Cheese and Cheese Products,-

(I) in item 1, after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(c) Whey Cheeses are solid, semi-solid, or soft products which are principally obtained through either of the following processes:

- (1) the concentration of whey and the moulding of the concentrated product;
- (2) the coagulation of whey by heat with or without the addition of acid.

In each case, the whey may be pre-concentrated prior to the further concentration of whey or coagulation of the whey proteins. The process may also include the addition of milk, cream, or other raw materials of milk origin before or after concentration or coagulation. The ratio of whey protein to casein in the product obtained through the coagulation of whey shall be distinctly higher than that of milk.

The product obtained through the coagulation of whey may either be ripened or unripened.

(d) “Cheeses in Brine” are semi-hard to soft ripened cheeses. The body has a white to yellowish colour and a compact texture suitable for slicing, with none to few mechanical openings. The cheeses have no actual rind and have been ripened and preserved in brine until delivered to, or prepacked for, the consumer. Certain individual cheeses in brine contain specific herbs and spices as part of their identity.”;

(II) in item 2, under sub-item (c),-

(1) in the table after entry (iv) relating to Cheese products, following shall be inserted, namely:-

| Product | | Moisture Maximum, % m/m | Milk Fat Minimum, % (dry basis) | Lactose, Maximum, % (m/m) |
|---------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| “v) | Whey cheeses | | | |
| a. | Creamed whey cheese | - | 33 | - |
| b. | Whey cheese | - | ** | - |
| c. | Skimmed whey cheese | - | *** | - |
| vi) | Cheeses in brine | | | |
| a. | Soft cheese in brine | - | 40 | - |
| b. | Semi-hard cheese in brine | - | 40 | -“; |

(2) in the table, after existing entry (*), following shall be inserted, namely:-

*** Milk fat in whey cheese shall be minimum 10% and less than 33% on dry basis.

*** Milk fat in skimmed whey cheese shall be less than 10% on dry”;

(III) under item 6, the sub-item (a) shall be substituted by the following, namely:-

“(a) The name of the food product shall be ‘cheese’, ‘whey cheese’ or ‘cheese in brine’, as applicable. However, the word ‘cheese’, ‘whey cheese’ or ‘cheese in brine’ may be omitted in the designation of an individual cheese variety as per sub-item (a) of item 1.”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./371/18]

Note. – The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 *vide* number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide the* following notifications:-

- i. F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- ii. F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- iii. F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- iv. F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
- v. F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- vi. F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- vii. F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- viii. F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- ix. F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- x. F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- xi. F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
- xii. F.No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- xiii. No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- xiv. F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- xv. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- xvi. F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- xvii. F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
- xviii. F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- xix. F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- xx. F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- xxi. F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- xxii. F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- xxiii. F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- xxiv. F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- xxv. F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- xxvi. F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
- xxvii. F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
- xxviii. F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- xxix. F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- xxx. F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- xxxi. F.No. 1/Additives/Std/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- xxxii. F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;

- xxxiii. F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
- xxxiv. F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
- xxxv. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;
- xxxvi. F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September,2017;
- xxxvii. File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
- xxxviii. F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
- xxxix. F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
- xl. F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
- xli. F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
- xlii. F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;
- xlili. F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February , 2018;
- xliv. F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;
- xlv. F. No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 13th March, 2018;
- xlvi. F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
- xlvii. File No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
- xlviii. No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;
- xlix. F.No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, Dated 20th July,2018;
- l. F.No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, Dated 20th July,2018;
- li. Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, Dated 31st July, 2018; and
- lii. File No.1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, Dated 8th November, 2018